# FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मूलचन्द वगै0 बनाम् भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

मुकदमाः—विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बरः— /

| | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर अहका की त |
|---|---|---|
| | प्रार्थीगण वकील श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम् एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 15.02.2018 को पेश हो। | |
| 15.02.2018 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी की नोटिस तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।<br><br>प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 5003, 5003/5806, 5027 से 5030 कुल किता 6 कुल रकबा 5.03 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रींगस की खातेदारी जगन्याराम पिता मंगलाराम राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के मृत्तक पिता के नाम दर्ज है जो अशुद्ध है। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक शुद्ध नाम राशनकार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक तथा अन्य भूमियों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 300, 161, 74 ग्राम परसरामपुरा व रींगस के खाता सख्या 1099 में प्रार्थीगण के पिता का रिकार्डेड सही नाम जगन्नाथ पुत्र मंगलाराम सही दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता ~~का वास्तविक रिकार्डेड नाम जगन्नाथ है तथा~~ | |

पुराने समय में बोलचाल की भाषा में जगन्याराम

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

मु0 नं0 16/2018

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| | बोलते थे जिस वजह से राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम जगन्नाथ के बजाय जगन्याराम दर्ज कर दिया गया जिसे राजस्व रिकार्ड में जगन्याराम की बजाय जगन्नाथ रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।<br><br>हमने वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर सगौर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–7074 तीन, 2074–2077 दो व दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम जगन्याराम पिता मंगलाराम नही होकर वास्तविक नाम जगन्नाथ पिता मंगलाराम ही है। जो सही है।<br><br>अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 5003, 5003/5806, 5027 से 5030 कुल किता 6 कुल रकबा 5.03 हैक़्टर अवस्थित तन् ग्राम रींगस के राजस्व रिकार्ड में दर्ज **जगन्याराम पिता मंगलाराम हि0 1/4** के स्थान पर **जगन्नाथ पिता मंगलाराम हि0 1/4** दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>यह निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>(ब्रह्मलाल जाट)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर(सीकर) |

Scanned by CamScanner